

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-98/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री लक्ष्मण पिता पोखर गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

- 1-श्री उदा पिता पोखर गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
- 2-श्री धर्मा पिता देवा गूजर उम्र नाबालिग बबिलायत माता श्रीमति प्रेमी पत्नि देवा गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
- 3-मु0 सुगना पुत्री देवा गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
- 4-मु0 रेखा पुत्री देवा गूजर उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
- 5-मु0 टुमिया पुत्री देवा गूजर, उम्र नाबालिग बबिलायत माता श्रीमति प्रेमी पत्नि देवा
- 6-श्रीमति प्रेमी पत्नि देवा गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 7-श्री गोपाल पिता पोखर गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल मृतक के कायम मुकाम:-
 - 7/1-श्री सुरेश चन्द्र पिता गोपाल गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तह. मांडल
 - 7/2-शांति पुत्री गोपाल गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
 - 7/3-पूजा पुत्री गोपाल गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
 - 7/4-लाडू पत्नि गोपाल गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 8-श्री काना पिता नानू गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
- 9-श्री रमेश पिता नानू गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
- 10-श्रीमति हंगामी बेवा नानू गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
- 11-श्रीमति बरजी पत्नि श्रीराम गूजर, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल
- 12-सहकारी भूमि विकास बैंक, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 13-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा -----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री राजेश तिवाड़ी, एडवोकेट और प्रतिवादी गण संख्या 8 की ओर से श्रीमति सुमित्रा सांखला, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 19.9.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के

८

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

खर्च लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

वादी का वाद पत्र आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6, 7, 8, 9, 10 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 110, 116, 117, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 206, 405, 407, 408, 409, 410, 412, 478/205 कुल कित्ता 26 रकवा 35 बीघा 05 बिस्वा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 के संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 7, 8, 9, 10 के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

(सी.एल.शर्मा)

आर0ए0एस0

उपस्थान्त अधिकारी,

मांडल सिविल भीलवाड़ा

आज दिनांक 19.9.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपस्थान्त अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा